



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 2006/अग्रहायण 27, 1928

No. 594]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 2006/AGRAHAYANA 27, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 758(अ).—केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- | | |
|--|---------|
| 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार | अध्यक्ष |
| 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री बदर दुर्रज अहमद | सदस्य |
| 3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एन. अग्रवाल | सदस्य |

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2006 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पी आई टी एन डी पी एस]

के. एस. शर्मा, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :- यह अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 16 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2006

G.S.R. 758(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 721(E), dated 16th December, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar | Chairman |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Badar Durrez Ahmed | Member |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice S.N. Aggarwal | Member |

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2006.

[F.No. 820/11/2003-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note : This Notification No. G.S.R. 721(E), dated 16th December, 2005 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 16th December, 2005.